



अंतर्राष्ट्रीय छात्र – फीस और फीस-वापसी (रिफंड)

यह तथ्य पत्रक **फीस और फीस-वापसी (रिफंड)** के बारे में है। इसमें अपने शिक्षा प्रदाताओं के साथ फीस और फीस-वापसी (रिफंड) के बारे में असहमति पैदा होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्राओं द्वारा हमसे पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं।

अपने पाठ्यक्रम में नामांकनस रद्द करने पर क्या मुझे फीस वापिस मिलेगी?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके **लिखित समझौते** में क्या कहा गया है। कुछ प्रदाता आपके पाठ्यक्रम के आरंभ होने से पहले, और यहाँ तक कि इसके आरंभ होने के बाद भी फीस वापिस (रिफंड) करेंगे, लेकिन अन्य प्रदाता ऐसा नहीं करेंगे। आपके लिखित समझौते में आपके **अधिकार और जिम्मेदारियाँ** निर्धारित की जानी चाहिए।

यदि आपके पास अपने लिखित समझौते की प्रति नहीं है, तो अपने प्रदाता से इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहें। यदि आपने 1 जनवरी 2018 के बाद अपना लिखित समझौता स्वीकार किया है, तो अपने पास समझौते की एक प्रति रखना आपकी जिम्मेदारी है।

मुझे वीज़ा नहीं मिला, इसलिए क्या मुझे फीस वापिस मिल सकती है?

हाँ। यदि आपके छात्र वीज़ा के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो और इस कारणवश आपको पाठ्यक्रम में अपना नामांकन निरस्त करना पड़े तो आपके पास फीस वापिस (रिफंड) प्राप्त करने का अधिकार है, भले ही आपके वीज़ा के आवेदन को अस्वीकार करने के पीछे कोई भी कारण हो।

यदि पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले आपके वीज़ा के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया हो, तो आपके पास अधिकतम पाँच प्रतिशत या \$500 (इनमें से जो भी कम हो) के प्रशासनिक शुल्क की धनराशि घटाकर अपने पाठ्यक्रम की बाकी पूरी फीस (रिफंड) वापिस प्राप्त करने का अधिकार है।

यदि अपना पाठ्यक्रम आरंभ कर लेने के बाद आपके वीज़ा के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाए, तो आपके पास पाठ्यक्रम में अपना नामांकन निरस्त करने की तिथि के बाद इसके बाकी बचे हिस्से के लिए अदा की गई फीस को वापिस (रिफंड) प्राप्त करने का अधिकार है।

अपना पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले मेरा शिक्षा प्रदाता मुझसे कितनी धनराशि का भुगतान करने के लिए कह सकता है?

यदि आपके पाठ्यक्रम की अवधि 25 सप्ताह से अधिक हो, तो आपका शिक्षा प्रदाता पाठ्यक्रम आरंभ करने से पहले आपके लिए कुल ट्यूशन फीस की आधी से अधिक धनराशि का भुगतान

हमसे संपर्क करें

ombudsman.gov.au
1300 362 072

GPO Box 442
Canberra ACT 2601

अपना लिखित समझौता
देखें।

आपके लिखित समझौते में
आपके प्रदाता की फीस-
वापसी (रिफंड) नीति और
फीस-वापसी (रिफंड) के
लिए आवेदन करने के
तरीके की रूपरेखा दी गई
होगी।

राष्ट्रमंडल लोकपाल एक
निःशुल्क सेवा है

क्या आपने हमारा वीडियो
देखा है? इसे देखने के लिए
क्यूआर कोड को स्कैन करें



करना आवश्यक नहीं बना सकता है। आरंभ करने से पहले आप अपनी आधी से अधिक फीस का भुगतान करने का चयन कर सकते/सकती हैं/, लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। जब तक आप लिखित समझौते को स्वीकार न कर लें, उससे पहले आपका प्रदाता आपसे कोई भी धनराशि स्वीकार नहीं कर सकता है।

यदि आपके पाठ्यक्रम की अवधि 25 सप्ताह या इससे कम है, तो आपका प्रदाता आरंभ करने से पहले आपके लिए पाठ्यक्रम की संपूर्ण फीस का भुगतान करना आवश्यक बना सकता है।

एक बार पाठ्यक्रम आरंभ कर लेने के बाद आपका प्रदाता आपके लिए पाठ्यक्रमकी संपूर्ण फीस का भुगतान करना आवश्यक बना सकता है, भले ही आपके पाठ्यक्रम की अवधि कुछ भी हो।

अपने प्रदाता के साथ फीस और फीस-वापसी (रिफंड) के बारे में विवाद पैदा होने की स्थिति से बचाव कैसे करें

यह सुनिश्चित तरीके से समझ लें कि आपके **लिखित समझौते** में फीस, फीस-वापसी (रिफंड) और पाठ्यक्रम में नामांकन को रद्द करने के बारे में क्या कहा गया है। आपके लिखित समझौते में आपको फीस-वापसी (रिफंड) के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में अवश्य बताया जाना चाहिए। सही तरीके से फीस-वापसी (रिफंड) के लिए आवेदन करना महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः फीस-वापसी (रिफंड) के लिए लिखित रूप में आवेदन किया जाना चाहिए और कभी-कभी प्रदाताओं के पास इसके लिए एक विशेष फॉर्म भी होता है।

यदि आपका प्रदाता यह निर्णय लेता है कि आप फीस-वापसी (रिफंड) के हकदार नहीं हैं और आपको उसका यह निर्णय गलत लगता है, तो आप अपने प्रदाता की **आंतरिक** शिकायत और अपील प्रक्रिया के माध्यम से शिकायत कर सकते/सकती हैं। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होता है कि आपको अपने शिक्षा प्रदाता का निर्णय गलत क्यों लगता है और आप फीस वापिस (रिफंड) किए जाने के लिए स्वयं को हकदार क्यों मानते/मानती हैं।

यदि आपको लगता है कि आपका प्रदाता निरस्तीकरण फीस (cancellation fees) के लिए गलत तरीके से आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आप अपने शिक्षा प्रदाता की शिकायत और अपील प्रक्रिया का उपयोग भी कर सकते/सकती हैं।

यदि आप इस प्रक्रिया के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं और आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपका प्रदाता गलत है, तो आप राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) जैसे **बाहरी** शिकायत निकाय के पास इस बारे में शिकायत कर सकते/सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ है।

मैं बाहरी शिकायत कैसे कर सकता/सकती हूँ?

यदि आप एक **निजी शिक्षा प्रदाता** के साथ अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्रा हैं, तो आप राष्ट्रमंडल लोकपाल (Commonwealth Ombudsman) के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं। लोकपाल (Ombudsman) ऑस्ट्रेलिया में निजी स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों (शिक्षा प्रदाताओं) के साथ भविष्य में अध्ययन करने के इच्छुक, वर्तमान में अध्ययन करने वाले, या भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्राओं को होने वाली समस्याओं के बारे में शिकायतों की जाँच करते हैं। आप हमारा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते/सकती हैं या हमें **1300 362 072** पर फोन कर सकते/सकती हैं। शिकायत करने और हमसे संपर्क करने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **ombudsman.gov.au** पर जाएँ।

यदि आप एक **सार्वजनिक (सरकारी) शिक्षा प्रदाता** के साथ अध्ययन करने वाले/वाली एक अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू छात्र/छात्रा / हैं, तो आप उपयुक्त **राज्य या राज्यक्षेत्र लोकपाल- (state or territory ombudsman)**¹ के पास शिकायत कर सकते/सकती हैं।

¹ <http://www.ombudsman.gov.au/what-we-do>

मेरी सहायता और कौन कर सकता है?

आप हमारी वेबसाइट पर अपनी सहायता करने में सक्षम अन्य संगठनों के लिए [उपयोगी कड़ियों](#)² की सूची देख सकते/सकती हैं।

केस अध्ययन

डेनमार्क से ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने आई हैन्नी* ने हमारे कार्यालय में यह शिकायत की कि पाठ्यक्रम में अपना नामांकन निरस्त करने के बाद उसका शिक्षा प्रदाता उसे फीस वापिस नहीं करेगा। हमने प्रदाता से लिखित समझौते की एक प्रति उपलब्ध कराने के लिए कहा। प्रदाता ने हमें बताया कि हैन्नी ने जिस पाठ्यक्रम से अपना नामांकन वापिस लिया था, उस पाठ्यक्रम के लिए हैन्नी के साथ प्रदाता का कोई लिखित समझौता नहीं था। इसके बजाए प्रदाता ने उसी पाठ्यक्रम को पहले प्रस्तुत करते समय बनाए गए लिखित समझौते के आधार पर अपना निर्णय लिया था। हैन्नी ने पहले इस भूतपूर्व समझौते से भी अपना नामांकन वापिस लिया था। इस मामले में पढ़ाई की अवधि और पाठ्यक्रम की फीस, इन दोनों में भूतपूर्व समझौते को स्वीकार किए जाने के बाद परिवर्तन हुआ था। इसलिए प्रदाता के लिए भूतपूर्व लिखित समझौते के आधार पर अपना निर्णय लेना आवश्यक नहीं था। हमने प्रदाता को हैन्नी को फीस वापिस (रिफंड) करने की सलाह दी। प्रदाता ने हमारी सलाह का पालन किया और हैन्नी को फीस वापिस (रिफंड) कर दी।

मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करने आए जोनाथन* ने एक शिक्षा प्रदाता के साथ अपना नामांकन कराया और अध्ययन आरंभ करने के बाद दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश करने का निर्णय किया। लिखित समझौते में कहा गया था कि पाठ्यक्रम आरंभ करने के बाद छात्र/छात्राओं के पास फीस वापिस (रिफंड) प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। लिखित समझौता कानून के अनुरूप था और हमने प्रदाता के निर्णय को सही माना। जोनाथन को फीस वापिस (रिफंड) नहीं की गई।

और अधिक जानकारी वेबसाइट ombudsman.gov.au पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें: इस प्रपत्र का उद्देश्य केवल एक निर्देशिका के रूप में मार्गदर्शन करना है। इसलिए व्यक्तिगत मामलों में इस जानकारी पर कानूनी सलाह के रूप में या कानूनी सलाह के एक विकल्प के रूप में निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल लोकपाल कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक इस प्रपत्र पर निर्भरता के परिणामस्वरूप आपको होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उद्धृत अधिनियमों के सबसे अद्यतित संस्करणों के लिए कृपया [Federal Register of Legislation](#) देखें।

² <http://www.ombudsman.gov.au/How-we-can-help/overseas-students/useful-links>

* गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नाम और देश बदल दिया गया है